(37)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 143/2024

अनवान :—

1. हरपाल सिंह पुत्र शेराराम उम्र 54 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर — 4, कुलचन्द्र तहसील — टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज०) ।

प्रार्थी

1. चन्द्रपाल पुत्र लाधूराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. देवीलाल पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार निवासी दढेला तहसील जिला हनुमानगढ़ ।
3 नवीन कुमार पुत्र चन्द्रपाल जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4 प्रवीण कुमार पुत्र चन्द्रपाल जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5 सत्यप्रकाश पुत्र आत्माराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6— तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री हितेन्द्रमोहन सारस्वत अधिवक्ता प्रार्थी

श्री सुभाषगर्ग अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक........16/7/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि तहसील टिब्बी के चक 8 सी. डी. आर. के पत्थर नम्बर 225/248 (4) किला नम्बर 2 ता 5, पत्थर नम्बर 226/ 248 (5) किला नम्बर 1 व 2 कुल 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खाता संख्या 166/155 सम्वत् 2075 — 2078 संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के नाम तहसील टिब्बी के चक 8 सी. डी. आर. के पत्थर नम्बर 224 /248 (3) किला नम्बर 5/1/249, 5/2/2004, 6/1/. 240, 6/2/012, 7/1/.076, पत्थर नम्बर 225 / 248 (4) किला नम्बर 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13/1/.063, 14, 15 कुल 2.669 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमांबदी चक 8 सी. डी. आर. खाता संख्या 33/37 सम्वत 2075—78 संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी की कृषि भूमि चक 8 सी.डी.आर. में पत्थर नम्बर 225 / 248 (4) किला नम्बर 2 ता 5, पत्थर नम्बर 226/248 (5) किला नम्बर 1 व 2 कुल 1.518 हैक्टेयर कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नही है । चक 8 सी. डी. आर. के पत्थर नम्बर 224/248 के किला नम्बर 1 ता 4 में दक्षिण ओर .0126 — 0126 हैक्टेयर व किला नम्बर 5/2 में .0040 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत हैं । प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन एवं उंटगाड़ा ट्रैक्टर ट्राली इत्यादि वाहन के अवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 8 सी. डी. आर. के पत्थर नम्बर 224 /248 के किला नम्बर 5 व पत्थर नम्बर 225/248 के किला नम्बर 1 में दक्षिणी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रत्येक किला में सवा आठ फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बाई

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

में अर्थात प्रत्येक किला में 1–1 बिस्वा रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई अन्य सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं है इस कारण चक 8 सी.डी. आर. के पत्थर नम्बर 224/248 के किला नम्बर 5 व पत्थर नम्बर 225/248 के किला नम्बर 1 में दक्षिणी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रत्येक किला में सवा आठ फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बाई में अर्थात प्रत्येक किला में 1–1 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश फरमाए जावे। इस हेतु मुताबिक कानून व नियम किसी भी प्रकार की शर्त या कोई दायित्व न्यायालय प्रार्थी पर आयद करता है तो प्रार्थी उस आदेश की पालना के लिए तत्पर व तैयार हैं। प्रार्थी ने गत् सप्ताह अप्रार्थीगण से प्रश्नगत रास्ता को स्वीकृत करवाने व राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर चक 8 सी. डी. आर. के पत्थर नम्बर 224/248 के किला नम्बर 5 व पत्थर नम्बर 225/248 के किला नम्बर 1 में दक्षिणी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रत्येक किला में सवा आठ फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बाई में अर्थात प्रत्येक किला में 1–1 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश फरमाए जावे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी स0 2 व 5 की और से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पते से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थी की आराजी का विवरण दर्ज है जो रिकार्ड प्रार्थना पत्र की दफा 3 में अप्रार्थीगण की भूमि से सम्बन्धित है जो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज तथ्य गलत, असत्य होने से स्वीकार नहीं । चकनं0 8 सीडीआर के प०न० 224/248 के किलानं0 1 ता 4 में स्वीकृतशुदा रास्ता है उपरोक्त रास्ता हम प्रार्थीगण ने पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने हिस्सा की कृषि भूमि देकर राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाया था, उपरोक्त रास्ता हम अप्रार्थीगण का ही है। प0नं0 224/248 किलनं0 5 प0न0 225/248 किलानं0 1 में कोई रास्ता चालू नही है। प्रार्थी हम अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 में दर्ज तथ्य दर्ज कॉज ऑफ एक्शन हासिल करने के लिए दर्ज की गई है लेकिन हम अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थी को कोई वाद कारण हासिल नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण स0 1,3,4 की तामिल सम्यक् रूप से होने के बाद भी अप्रार्थीगण न तो स्वंय न ही उनका कोई विधिक पैरोकार उपस्थित होने के कारण उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। तहसीलदार राजस्व टिब्बी के पत्रांक राजस्व/2024/2790

दिनांक 05.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई मुताबिक तहसीलदार राजस्व टिब्बी रिपोर्ट चक 8 सीडीआर के प0न0 224/248 मु0 3 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक में .0126 व 5/2 में .004 स्वीकृत शुद्धा रास्ता दर्ज राजस्व रिकोर्ड होना बताया जो निकटतम स्वीकृत शुद्धा रास्ता है। तहसीलदार रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए (1) में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है (2) अन्य खातेदार की जोत मे से विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने व प्रस्तावित रास्ते के आत्यांतिक आवश्यकता होने व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए आरटीए के प्रावधानों के सुसंगत होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 8 सी.डी. आर. के पत्थर नम्बर 224/248 के किला नम्बर 5 व पत्थर नम्बर 225/248 के किला नम्बर 1 में दक्षिणी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रत्येक किला में सवा आठ फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बाई में अर्थात प्रत्येक किला में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है स्वीकृत किये गये रास्ते के बदले में उतनी ही भूमि अप्रार्थी के चिपते प्रार्थी के प0न0 225/248 के किला 2 में रास्ते की कॉर्नर को छोडते हुए अप्रार्थीगण के नाम से उताना ही हिस्सा दर्ज किया जावे व प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आदिनाक...16.7.25... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी)

([illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़